

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय,  
महानदी अवन, अटल नगर  
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. ३७१९ / एफ-१-६४ / ३१ / एस-२ / २००९,  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक २७/०८/२०१९

मुख्य अभियंता,  
हसदेव कछार,  
जल संसाधन विभाग,  
बिलासपुर (छ.ग.)

**विषय :-** बिलासपुर जिले के विकासखंड-मरवाही की दर्दी व्यपवर्तन योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

**संदर्भ :-** 1. प्र.अ. का पत्र क्र.-1030 / बो.प्र. / RAA / 2017 / 14493 रायपुर, दि. 20.09.2017.  
2. मु.अ. का पत्र क्र.-23 / कार्य / डी-२ / 2007, बिलासपुर, दि. 05.10.2018.

—००—

राज्य शासन एतद द्वारा बिलासपुर जिले के विकासखंड-मरवाही की दर्दी व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु लागत राशि रु. 1873.32 लाख (रूपये अट्ठारह करोड़ तिहत्तर लाख बत्तीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना से 1100 हेक्टेयर खरीफ एवं 400 हेक्टेयर रबी कुल 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-4702, लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल, 0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना (3828) लघु सिंचाई योजना #97-निर्माण कार्य, 003 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक-538 / सी.एन.-३१-०२१८५ / बजट-२ / वित्त / चार / २०१९, दिनांक १९.०८.२०१९ द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के दाज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( याकूब खासा )/१९

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

(६) जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. ३७२०/एफ-१-६४/३१/एस-२/२००९,

अटल नगर, दिनांक २७/०८/२०१९

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर-१९, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम ४-२२ अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, मुख्यालय-पेन्ड्रा रोड, जिला-बिलासपुर।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।

संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग  
27/8/19